तार : नवसम दूरभाष : 0172—2638838
फैक्स : 0172—2638729
ई—मेल : nvsro_chd@dataone.in
वैब : www.nvsrochd.gov.in
नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)
(भारत सरकार)
क्षेत्रीय कार्यालय :
बे० न० 26—27, सैक्टर 31 ए,
चण्डीगढ़—१६००३०

Gram : NAVSAM Tel : 0172-2638838
Fax : 0172-2638729
E-mail : nvsro_chd@dataone.in
Website : www.nvsrochd.gov.in
NAVODAYA VIDYALAYA SAMITI
Ministry of Human Resource Development
(Department of School Education & Literacy)
(Govt. of India)
Regional Office :
Bay No. 26-27, Sector 31-A,
Chandigarh - 160030

फ.स.3—23 / वि.प्रशा. / नविस / आर ओ / चंडीगढ़ / 2015 / 198-200 दिनांक : 21-04-2016

पंजीकृत

सेवा में

समस्त प्राचार्य,
जवाहर नवोदय विद्यालय
चण्डीगढ़ संभाग के अन्तर्गत।

विषय :— **नराकास की छमाही बैठको में अनुपस्थित रहना एवं राजभाषा कार्यान्वियन संबंधी कमियों को दूर करने के संबंध में ।**

महोदय / महोदया,

नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय पत्र संख्या फ.1—3 / 2015—नविस(हि.प्र.) /143 दिनांक 08.03.2016 जो कि उपायुक्त नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय पटना को संबोधित है तथा प्रतिलिपि अनुपालन हेतु उपायुक्त सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पृष्ठांकित है कि प्रतिलिपि संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि सभी विद्यालयों की वेबसाइट एवं रबर की मोहरे / साईन बोर्ड, नाम पटिटका आदि द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में अनिवार्य रुप से होना सुनिश्चित करे तथा नराकास की बैठको में कार्यालय प्रमुख व्यक्तिगत रुप से उपस्थित रहे। हिंदी तिमाही रिपोर्ट नियमित रुप से इस कार्यालय को यथा समय प्रेषित करते रहे।

पैनल निरीक्षण के दौरान हिंदी के काम काज का भी निरीक्षण सम्बन्धित अधिकारियों से अनिवार्य रुप से करवाना सुनिश्चित करे।

भवदीय

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

(एम.के. शर्मा)
उपायुक्त

प्रतिलिपिः—

1. संयुक्त आयुक्त (प्रशा.) नवोदय विद्यालय समिति, मुख्यालय, नोएडा — को सूचनार्थ प्रेषित।
2. श्रीमती एस.पी.के. सिद्धु, सहायक आयुक्त एवं संकुल प्रभारी, पंजाब
3. श्री पी.के. शर्मा, सहायक आयुक्त एवं संकुल प्रभारी, जम्मू व कश्मीर
4. श्री एम.सी.चार्ल्स, सहायक आयुक्त एवं संकुल प्रभारी, हिमाचल प्रदेश
5. श्री नरेश कुमार पाहवा, सहायक आयुक्त (प्रशा॰) एवं राजभाषा अधिकारी

(क्रमांक 2–5:) से अनुरोध किया जाता है कि उक्त अनुदेशों का अपने संकुल के अंर्तगत सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

6. श्री अनिल वाही, कम्पयुटर आपरेटर — कृपया इस को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

उपायुक्त

D:\Hindi folder\3-23 Hindi Rajbhasha\Letter.doc

नवोदय विद्यालय समिति
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
भारत सरकार
बी-15, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सैक्टर-62, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश -201309
दूर. 0120-2405969,70,71,72,73 फैक्स : 0120-2405182

Navodaya Vidyalaya Samiti
Ministry of Human Resource Development
Deptt. of School Education & Literacy
Govt. of India
B-15, Institutional Area, Sector-62, NOIDA, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh-201309
Tel. 0120-2405969,70,71,72,73 Fax : 0120-2405182
वेबसाईट/ Website : www.navodaya.nic.in. navodaya.gov.in

सं.सं. 1-3/2015-न.वि.स.(हि.प्र.))143 दिनांक: 08.03.2016

2197
14-03-16

सेवा में

उपायुक्त
नवोदय विद्यालय समिति
क्षेत्रीय कार्यालय
पटना

विषय: नराकास की छमाही बैठकों में अनुपस्थित रहना एवं राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी कमियों को दूर करने के संबंध में।

महोदय,

नगर राजभाषा कार्यान्यन समिति (नराकास), मुजफ्फरपुर (बिहार) ने उनके पत्र सं. मुजफ्फरपुर/नराकास/बरनवाल/2015-16/386-1388 दिनांक 17.02.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से सूचित किया है कि प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, मुजफ्फरपुर पिछले 3 वर्ष से नगर राजभाषा समिति की किसी भी छमाही बैठक में उपस्थित नहीं हुए और न ही अपनी अनुपस्थिति से संबंधित कोई सूचना दी। विदित हो कि उक्त समिति की बैठकों में महत्वपूर्ण चर्चा होती है और कुछ नीतिगत मुद्दों पर निर्णय भी लेने होते हैं। इस संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किए गए हैं।

✓ नराकास ने आगे सूचित किया है कि जवाहर नवोदय विद्यालय, मुजफ्फरपुर की वेबसाइट केवल अंग्रेजी में है और कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली रबड़ की मोहर भी केवल अंग्रेजी में है। इनका द्विभाषी होना अनिवार्य है। इसके अलावा उक्त जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा नराकास को अंशदान राशि भी नहीं भेजी गई है।

✓ अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों विशेषतः प्राचार्य, ज.न.वि. मुजफ्फरपुर को उचित निर्देश दें कि राजभाषा नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें और वेबसाइट एवं रबड़ की मोहरें द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) में बनवाना सुनिश्चित करें तथा कार्यालय प्रमुख नराकास की बैठकों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

नरेश कुमार 8/3/16
(नरेश कुमार)
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)

प्रतिलिपि:

1. उपायुक्त, न.वि.स., सभी क्षेत्रीय कार्यालय (पटना के अलावा) :- कृपया अपने अधीनस्थ सभी कार्यालयों/जवाहर नवोदय विद्यालयों में उक्त बिंदुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।
2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मुजफ्फरपुर, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, पंकज मार्केट सरैयागंज, मुजफ्फरपुर (बिहार) पिन 842001.
3. उप निदेशक (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, कोलकाता।

14/03/16
21/3/16